(2)

टी0ए0 मिस केस सं0 224/2019-20

<table>
<tr><th>दिनांक</th><th>आदेश</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>10-12-19</td><td>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ललिता सावैयाँ, पिता– स्व० दुर्गाचरण सावैयाँ, ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फासिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– गितिलपी, थाना– 580, खाता नं०– 65, प्लॉट नं०– 233, रकवा– 0.10 एकड़ भूमि क्रेता गबरियल सिंकु, पिता– तुरी सिंकु, ग्राम– मतकमहातु, थाना– मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण मु० सं० 146/2018–19 द्वारा नामांतरित है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 769, दिनांक– 2.11.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता गबरियल सिंकु, पिता– तुरी सिंकु, ग्राम– मतकमहातु, थाना– मुफ्फासिल, के पास 4,89,500.00/–(चार लाख नवासी हजार पाँच सौ) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फासिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक ललिता सावैयाँ, पिता– स्व० दुर्गाचरण सावैयाँ, ग्राम– गितिलपी, क्रेता– गबरियल सिंकु, पिता– तुरी सिंकु, ग्राम– मतकमहातु, थाना– मुफ्फासिल के पास. 4,89,500.00/–(चार लाख नवासी हजार पाँच सौ) रूपये में मौजा– गितिलपी, थाना– 580, खाता नं०– 65, प्लॉट नं०– 233, रकवा– 0.10 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ......अनुमति......दी जाती है।

लेखापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner